

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या

/संविदा चिकित्सा/विज्ञप्ति/2021-22.

दिनांक -25 नवम्बर 2021

- विज्ञप्ति -

प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 113468/712-1001(999)/604/2021 दिनांक 12-11-2021 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, झाँसी में पी0जी0 सी0टी की वृद्धि किये जाने/एम्बेडमेंट0 मान्यता की पूर्णतः चिकित्सा शिक्षा को जी कमी को पूरा करने हेतु निम्न रिक्त (Vacant) पदों पर संविदा तैनाती हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27-12-2021 तक प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, झाँसी में आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह आचार्य				सहायक आचार्य			
		UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS	UR	OBC	SC	EWS
1	एनालॉजी							1					
2	एनेस्थीसियोलॉजी			17		1	1						
3	कम्यूनिटी मेडिसिन						1			1+1(44)			
4	कार्डियोलॉजी	1						1					
5	जनरल मेडिसिन					1	1				1	1(45)	
6	न्यूरोसर्जरी	1		17							1(43)		
7	नेफ्रोलॉजी										1		
8	प्लास्टिक सर्जरी							1		1			
9	पीडियाट्रिक्स							1					
10	फार्माकोलॉजी												1
11	फिजियोलॉजी		1								1	1	
12	फॉरेंसिक मेडिसिन	1				1							
13	बायोकेमिस्ट्री		1										
14	माइक्रोबायोलॉजी					1	1			1			
15	रेडियोलॉजी					1	1				1		
16	रेडियोथेरेपी			1(25)						1(46)	1#		
17	साइकियेट्री							1					

Medical physicist, T= Trauma Center.

- साक्षात्कार दिनांक 30, दिसम्बर 2021 को समय 12:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य होंगे।
- नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षा को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71-1-18-जी-63/2018, दिनांक 21-11-2019 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षा को नियत वेतन देव होगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें शासन द्वारा समय समय पर पूर्व में निर्गत गिन्-गिन् शासनादेशानुसार होंगी।
- आवेदक को National Medical Commission के एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण कान्ता अनिवार्य है।
- आयु सीमा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित शर्तें मान्य होंगी।
- संविदा चिकित्सा शिक्षा शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होंगे।
- पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, एवं तदनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता जति देव नहीं होगा। समी प्रकार का अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन को होगा।
- शासनादेश संख्या 6/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-1 दिनांक 23-10-2019 के अनुसार सम्बन्धित विशिष्टता में अनारक्षित कॉलम में दर्शाये गये ई0डब्ल्यू0एस0 के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्ल्यू0एस0) वर्ग का अर्ह अम्बन्धी उपलब्ध न होने की स्थिति में तत्क पदों को अनारक्षित वर्ग के अम्बन्धी द्वारा भरा जायेगा।
- आवेदकों को स्पष्ट सूचित किया जाता है, कि प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक रूप से हाई स्कूल अंक तालिका, एम0बी0बी0एस0 अंक तालिकाएँ, एकीकरण क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन, पी0जी0 के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पब्लिकेशन, एवं अन्य तत्सम्बन्धी स्वप्रामाणित प्रपत्र अवश्य संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- आरक्षण सम्बन्धी 100 बिन्दुओं का रोस्टर/शासनादेश संख्या 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी0सी0-1, दिनांक 13-08-2019 का अनुपालन मान्य होगा।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।

संख्या 4110/संविदा चिकित्सा/विज्ञप्ति/2021-22. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छटवीं तल, चं0प्र0 लखनऊ।
- प्रमारी अधिकारी-वेब साइट, मेडिकल कालेज, झाँसी को इस आदेश के साथ कि कालेज की वेब साइट पर सूचना अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- संयोजक, साक्षात्कार समिति, मेडिकल कालेज, झाँसी।
- नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज झाँसी।
Principal
M.L.B. Medical College
JHANSI

1
DR Shukla
To Dvs
Agency
su